अपर निदेशक, निदेशालय नियोजन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2015 को राज्य के नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही ।

अपर निदेशक, निदेशालय नियोजन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.15 को 11.00 बजे पूर्वाहन में नवनिर्मित सभागार, श्रम संसाधन विभाग में नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

1. स्थापना

(i) सेवांत लाभः– जिला नियोजनालय, मंधुबनी में पदस्थापित श्री महेन्द्र राव, चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, के सेवान्त लाभ में जी0 आई0 सी0, जी0 पी0 एफ0 आदि का भुगतान कर दिया गया है। बाकी अन्य सेवांत लाभ हेतु सहायक निदेशक दरभंगा को प्राथमिकता के साथ निष्पादन करने का निदेश दिया गया हैं। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दरभंगा के श्री इंद्रकांत चौधरी के सेवांत लाभ में सिर्फ पेंशन पेपर लंबित है बाकी अन्य का भुगतान होने की सूचना दी गई है। जिला नियोजनालय, मोतिहारी के श्री रामेश्वर पंडित के अन्य सेवांत लाभों का भुगतान कर दिया गया है एवं पेंशन पेपर महालेखाकार कार्यालय को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा के कर्मचारी शेख मुहम्मद सलीम के सभी सेवांत लाभों का निष्पादन किये जाने की सूचना दी गई है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा के भूतपूर्व कर्मचारी स्व0 राधेश्याम के जीवित उत्तराधिकारों से जीवित होने का प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण पत्र माँग किया जाने के लिए कहा गया है। जिला नियोजनालय हाजीपुर के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी श्री चन्द्रदेव पासवान का जुलाई में सेवानिवृति होने की सूचना दी गई है इस आलोक में स्थापना प्रभारी द्वारा उनके सेवांत लाभों के भुगतान की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

क्षेत्रीय कर्मचारियों के सेवापुस्त अद्यतन करने, कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ हीं सेवापुस्त/जी0 पी0 एफ0/एल0 टी0 सी0 आदि को भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में दिकक्तों का सामना न करना पड़े।

(ii) न्यायालय वादः– न्यायालय से संबंधित मामालों के निष्पादन में तत्परता बरतने, मुख्यालय को भेजे जाने वाले मासिक विवरणी को ससमय भेजने का निदेश निदेशालय नियोजन के क्षेत्राधीन पदाधिकारियों को दिया गया। जिला नियोजनालय, मुंगेर में श्री सुरेश प्रसाद शर्मा का सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0–1190/2015 सेवानिवृति से संबंधी मामला प्राप्त हुआ है।

(iii) सूचना का अधिकारः– उप निदेशक (नियोजन) स्थापना प्रभारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस संबंध में जिन कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त है उन्हें त्वरित निष्पादन, मासिक प्रतिवेदन भेजने, एवं सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत लोकसूचना पदाधिकारी, सहायक लोकसूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित करने का निदेश दिया गया।

(iv) जन शिकायतः– उप निदेशक स्थापना द्वारा निदेश दिया गया कि जन शिकायत से संबंधित मामले की श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इस आलोक में ऐसे मामलों की पूरी तत्परता से निष्पादन के पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाना अपेक्षित है ताकि मामले को निस्तारित माना जाय। प्रशासनिक एवं लोकसुधार से प्रेषित जन शिकायत के मामले को निष्पादित करने के उपरांत arun kshtri@gmail.com पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

2. योजना एवं गैर योजना

(i) उप निदेशक महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मासिक व्यय प्रतिवेदन एवं बजट प्राक्कलन आदि पर तत्परता के साथ अद्यतन कराने का निदेश दिया गया साथ ही साथ लेखा मिलान की समीक्षा की एवं निदेश दिया गया कि माह मार्च तक अद्यतन करा लिया जाय इस संदर्भ में छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बाँका, पटना आदि के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अपने यहाँ मार्च तक लेखा मिलान अद्यतन होने की सूचना दी गई।

3. E.M.I रिपोर्ट

बैठक के दौरान सभी नियोजनालयों के द्वारा भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक (ES-3) अर्द्धवार्षिक, वार्षिक एवं द्विवार्षिक ((ER-1 एवं E.R-2) प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त कतिपय क्षेत्रीय कार्यालयों का E.M.I प्रतिवेदन लंबित पाया गया। इस क्रम में उपनिदेशक (नियोजन) द्वारा लंबित प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा आग्रह किया गया कि जे0 एस0 ए0/नियोजन पदाधिकारी का ट्रेनिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया जाय। इस संदेर्भ में ट्रेनिंग हेतु CERTES से ट्रेनिंग हेतु अनुरोध करने की बात कही गई।

4. विविध

विधान सभा/विधान परिषद के तारांकित/अतारांकित प्रश्न लंबित न होने की सूचना क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दी गई।

1. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों का ई–मेल आई0 डी0 का वितरण किया गया। साथ ही साथ आई0 डी0 कार्ड बनवाने हेतु विचार किया गया।
2. नियोजनालय में ई0 निबंधन में जोर देने की बात कहीं गई।साथ ही साथ सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जल्द ही लैपटॉप वितरण की सूचना दी गई। प्रिंटर, स्कैनर की व्यवस्था की जाने की बात कहीं गई।
3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने हेतु टिप्स दिया गया।
4. एन0 सी0 एस0 के तहत लॉगइन आई0 डी0 क्षेत्रीय पदाधिकारी को प्रेषित किया गया था एवं किसी परेशानी की स्थिति में दिल्ली के एन0 सी0 एस0 के पदाधिकारी श्री दीपेन शाह एवं श्री जितेन्द्र मिश्रा के मोबाईल नं0 क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया।
5. मीटिंग का एजेंडा बेवसाइट पर अपलोड करने का निदेश प्राप्त हुआ है।
6. सभी नवनियुक्त नियोजन पदाधिकारियों को बिहार वित्तीय नियमावली का अध्ययन करने का निदेश दिया गया है।

7. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की कमी के बारे में बताया गया साथ ही साथ अनुरोध किया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के न रहने के कारण कार्यालयों के कार्यो में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से कार्यरत् लिपिक रिक्त पद एवं स्वीकृत पद आदि की जानकारी दी गई

अगली समीक्षात्मक बैठक दिनांक 03.09.2015 को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर सुनिश्चित की जानी है। जिसमें आपकी भागीदारी अपेक्षित है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

18/8/15

उप निदेशक(नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2 / यो0–5023 / 2014– 813 पटना–15, दिनांक– 18/8/15

प्रतिलिपिः– 1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) / सभी उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय सहित / सभी सहायक निदेशक (नियोजन) / सभी जिला नियोजन पदाधिकारी / सभी नियोजन पदाधिकारी (वि0 वि0 नि0 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2. निदेशालय नियोजन स्थित सभी पदाधिकारी / सभी सहायक / सभी लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3. आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

18/8/15

उप निदेशक(नियोजन)
बिहार, पटना।

M.meeting45